तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
06-24	पत्रावली तलबकर पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी घासीलाल उपस्थित। दिनांक 28-5-24 को प्रस्तुत मुख्य साक्ष्य शपथ पत्र वादी रिकॉर्ड पर लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा Ex-1 जमाबंदी सम्वत 2074-77, Ex-2 सत्यापित प्रतिलिपी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, Ex-3 जमाबन्दी सम्वत 2058-61 दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। वादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है साक्ष्यवादी बंद किए जाते है। पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 18-06-24 को पेश हो।	अग्रनि०
18-06-24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित वादी अधिवक्ता द्वारा वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074-77 कई दस्तावेज के साथ पेश की। दस्तावेज लोक दस्तावेज होने से शामिल पत्रावली किए गये। पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 25-06-24 को पेश हो।	
25-06-24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस समाप्त पत्रावली की गयी। हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपस्थित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.05.1999 के अवलोकन से स्पष्ट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	होता है कि मौके आ० गजानन्द द्वारा अपने हिस्से में से ख.सं. 733 रकबा 2.45 है में से 0.60 है कृषि भूमि उचित प्रतिफल प्राप्त कर वादी धारती आ० गजानन्द को बेचान कर दी गयी है। वादी का उक्त भूमि में हक अधिकार निहित है जमाबन्दी सम्वत 2058-61 तथा सम्वत 2074-77 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विक्रय की गयी कृषि भूमि पर वादी का नामान्तकरण नहीं खोला गया। वादी का वाद विषयक भूमि पर हक अधिकार निहित होने से वादी का ~~प्रार्थना~~ वाद पत्र स्वीकार किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

दावा संख्या 42/2020

दायरा दिनांक 16.07.2020

पीठासीन अधिकारी

श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

घासीलाल आ0 गजानन्द जाति मीणा निवासी खेंडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. बाबुलाल आ0 भेरूलाल जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. मोड़ूलाल आ0 भेरूलाल जाति मीणा निवासी खेड़ियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
3. रामप्रसाद आ0 भेरूलाल जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
4. राकेश आ0 चौथमल जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
5. विमला बाई पुत्री चौथमल जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
6. भूंली बाई पुत्री चौथमल जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
7. कमला बाई पुत्री चौथमल जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
8. मोहनी बाई बेवा चौथमल जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
9. रामलक्ष्मण आ0 गजानन्द जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
10. प्रेमबाई पुत्री गजानन्द जाति मीणा निवासी खेंडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
11. गीतराज आ0 गजानन्द जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
12. गीता बाई पुत्री गजानन्द जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
13. काली बाई पुत्री गजानन्द जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

जमाबन्दी सम्वत

14\. बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये प्रबन्धक शाखा झालीजी का बराना तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राजस्थान।

15\. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वाद —

अधिकार घोषणा पत्र, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आ0टी0एक्ट

अधिवक्ताः— 1. श्री महेन्द्र रेबारी (अधिवक्ता वादी)

2\. प्रतिवादीगण 1 लगायत 15(अनुपस्थित)

निर्णय दिनांकः—25.06.2024

वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खाता संख्या 68 खसरा संख्या 733 रकबा 2.45है0 वाके ग्राम खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है वास्ते प्रमाण नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074—78 वाद पत्र के साथ संलग्न है। वाद विषयक कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2058—61 में भैरू, गजानन्द पिता गोमदा के खाते में दर्ज थी खसरा संख्या 733 रकबा 2.45है0 में भैरू का हिस्सा 1/2 भाग निहित था भैरू ने अपने हिस्से की 1/2 भाग में से 0.60है0 भूमि वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 16.04.1999 को 70,000रु में बैचान की थी जिसका नियमानुसार पंजीयन करवाकर मौके पर कब्जा वादी को सम्भलाया था तभी से वादी का कब्जा काश्त है। भैरू पिता गोमदा के फौत हो जाने से उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 व गजानन्द के फौत हो जाने से वादी व प्रतिवादी सं 9 लगायत 12 वर्तमान में खातेदार कृषक है वादी का उक्त कृषि भूमि में पैतृक हिस्सा 1/12 भाग व खरीदशुदा 0.60है0 कृषि भूमि से अलग है। वादी विषयक कृषि भूमि पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण करवाने बाबत् कई प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय में पेश कर चुका है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज नहीं किया जब कि वादी विक्रय पत्र पंजीयन की दिनांक से खसरा संख्या 733 रकबा 2.45है0 और 0.60है0 का खातेदार कृषक है। भैरू की फौत हो जाने से उसके वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। भैरू लाल के वारिसान वादी की कृषि भूमि होने से इन्कार करने लगे है जब कि भैरूलाल के वारिसान भैरूलाल द्वारा किये गये बैचान से कानूनन प्रतिबन्धित हैं। दिनांक 01.06.2020 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 से वादी ने अपना नाम दर्ज करवाने की कहने पर उनके द्वारा मना कर दिया गया जिससे वाद का कारण उत्पन्न हुआ हैं। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी खरीद शुदा कृषि भूमि का खातेदार घोषित करवाये व प्रतिवादीगण 1लगायत8 के उक्त खसरा संख्या 733 के हिस्से में से 0.60है0 पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें और प्रतिवादीगण से बंटवारा करवाकर अपना अलग खाता कायम करवायें तथा प्रतिवादीगण 1लगायत 8 को कब्जो काश्त में दखल देने से रोकने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवायें। वादी द्वारा अन्त में निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

किया गया है कि वाद विषयक आराजी में से प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के हिस्से में से 0.60है0 का वादी को खातेदार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण से बंटवारा कर वादी का अलग से खाता कायम किया जावे। बंटवारा अनुसार तरमीम किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में नाम अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण 1लगायत8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी की कृषि भूमि की काश्त व्यवस्था में दखल नहीं देवें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थिगण 1 लगायत 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में वादी के साक्ष्य करवाये गये। वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 68, प्रदर्श–2 सत्यापित प्रतिलिपी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, प्रदर्श–3 जमाबंदी सम्वत् 2058–61 प्रदर्श करवाये गये। पत्रावली पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि वादी का वाद स्वीकार कर वाद विषयक आराजी में से प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के हिस्से में से 0.60है0 का वादी को खातेदार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण से बंटवारा कर वादी का अलग से खाता कायम किया जाने व प्रतिवादीगण 1लगायत8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाने का निवेदन किया। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRJ(14),2007 page no 603, RRC,1998 page no 243, RRD,1987 page no 63 पेश की । बहस समहत पत्रावली की गई।

हमारे द्वारा वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, प्रस्तुत नजीरों एवं कानून का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2058–61 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भैरू, गजानन्द पि0 गोमदा जाति मीना के नाम कुल किता 17 कुल रकबा 27.15है0 भूमि खातेदार दर्ज रिकार्ड है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.04.1999 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भैरू आ0 गजानन्द द्वारा कृषिभूमि वाके ग्राम खेडियामान पटवार हल्का रेबारपुरा भू0अभि0 निरीक्षक क्षेत्र घाट का बरौना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित खाता संख्या 53 पुरानी खसरा संख्या 55 किता 17 योग रकबा 27.15है0 जो कि प्रत्येक खसरा में 1/2 का हिस्सेदार है ने खसरा 733 रकबा 2.45है0 किस्म नहरी के अपने हिस्से में से 0.60है0 कृषि भूमि 70,000रु प्रतिफल लेकर घासी लाल आ0 गजानन्द जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान कर दी गयी है एवं कृषि भूमि पर कब्जा क्रेता को संभला दिया है। यदि रजिस्टर्ड बेचान पत्र में यह तथ्य लिखा होता है कि भूमि का कब्जा बेचानकर्ता ने खरीददार को दिया गया है तो कानूनी प्रावधान यही होगा कि क्रेता को संबंधित भूमि का कब्जा मिल गया है। वर्तमान में ऐसा कोई अभिलेख हमारे सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रस्तुत विक्रय पत्र फर्जी है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि पर भैरू आ0 गोमदा की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 का नाम विरासत नामान्तकरण तस्दीक किया गया है इस बिना पर वादी के अधिकार कम अथवा समाप्त नहीं हो जाते है। वादी वाद विषयक कृषि भूमि के खसरा 733 रकबा 2.45है0 किस्म नहरी में से 0.60है0

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

का क्रेता है जिसे वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय से उचित प्रतिफल देकर क्रय किया है। वादी के सदभावी क्रेता होने से वादी के अधिकार उक्त कृषि भूमि में निहित है। वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। जमाबंदी सम्वत् 2074–77 वाद विषयक आराजी खाता संख्या नया 68 पुराना 65 के खसरा संख्या 733 रकबा 2.45है0 वाके ग्राम खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ में से रकबा 0.60है0 कृषि भूमि पर वादी का 781/2352 हिस्से पर सहखातेदार घोषित किया जाता है। वाद विषयक खसरा संख्या में से बैचान की गयी कृषि भूमि को प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के हिस्से में से कम की जाकर जमाबंदी में उक्त खसरा संख्या पर पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 बाबूलाल आ0 भैरूलाल का हिस्सा 1/16, मोडूलाल आ0 भैरूलाल का हिस्सा 1/16, रामप्रसाद आ0 भैरू का हिस्सा 4603/170520, राकेश आ0 भैरूलाल का हिस्सा 1/16 अंकित किया जावे। प्रतिवादीगण 5 लगायत 13 का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी रहेगा।रहन संबंधी इन्द्राज यथावज जमाबंदी रहेगा। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रांवली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तार हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बूंदी)

अंतिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.. मुकाम..........
लाखेरी............................ व इजलास........श्री कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस)..

घासीलाल आ0 गजानन्द जाति मीणा निवासी खेंडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान। बनाम **बाबुलाल आ0 भेरूलाल जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान वगै0।**

दावा बाबत 53,88,89,188 आर0टी0एक्ट
सन् ....

मुकदमा नम्बर - 42/दावा/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे..........व हाजिरी .....वादी अधिवक्ता श्री धीरज जैन.....मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि – वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। जमाबंदी सम्वत् 2074–77 वाद विषयक आराजी खाता संख्या नया 68 पुराना 65 के खसरा संख्या 733 रकबा 2.45है0 वाके ग्राम खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ में से रकबा 0.60है0 कृषि भूमि पर वादी का 781/2352 हिस्से पर सहखातेदार घोषित किया जाता है। वाद विषयक खसरा संख्या में से बैचान की गयी कृषि भूमि को प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के हिस्से में से कम की जाकर जमाबंदी में उक्त खसरा संख्या पर पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 बाबूलाल आ0 भैरूलाल का हिस्सा 1/16, मोडूलाल आ0 भैरूलाल का हिस्सा 1/16, रामप्रसाद आ0 भैरू का हिस्सा 4603/170520, राकेश आ0 भैरूलाल का हिस्सा 1/16 अंकित किया जावे। प्रतिवादीगण 5 लगायत 13 का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी रहेगा।रहन संबंधी इन्द्राज यथावज जमाबंदी रहेगा। निज.....................................मुबलिग..बाबत..............
....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....
....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का
....
अदा करें।

सब मेरें दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **25 माह 06 सन् 2024** को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा लाखेरी (बून्दी)

मुहर

	रूपया	पैसे		रूपया	पैसे
मुद्दई			मुद्दायलह		
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॅान		
5.खर्चा गवाहॅान			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड्रिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

... प्रमाण नकल जमाबन्दी सम्वत

घासीलाल आ0 गजानन्द जाति मीणा निवासी खेंडियामान तहसील इन्द्रगढ़ राजस्थान।

बनाम

1. बाबुलाल आ0 भेरूलाल जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. मोडूलाल आ0 भेरूलाल जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
3. रामप्रसाद आ0 भेरूलाल जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
4. राकेश आ0 चौथमल जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
5. विमला बाई पुत्री चौथमल जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
6. भूली बाई पुत्री चौथमल जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
7. कमला बाई पुत्री चौथमल जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
8. मोहनी बाई बेवा चौथमल जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
9. रामलक्ष्मण आ0 गजानन्द जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
10. प्रेमबाई पुत्री गजानन्द जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
11. गीतराज आ0 गजानन्द जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
12. गीता बाई पुत्री गजानन्द जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
13. काली बाई पुत्री गजानन्द जाति मीणा निवासी खेडियामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
14. बैंक ऑफ बडौदा जरिये प्रबन्धक शाखा झालीजी का बराना तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राजस्थान।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)